पं.रविशंकर शुक्लविश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
सामान्य प्रशासन
Phone No. 0771-2262587Website : prsu.ac.in,E-mail – dradmin@prsu.ac.in

विज्ञापन कमांक 1588/स्था./सा.प्रशा./2026 रायपुर, दिनांक 06/08/2026

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज.स्था./2024 दिनांक 06/07/2024 एवं क्रमांक ESTB/23066/2026-O/O ADDITIONAL DIRECTOR, नवा रायपुर, दिनांक 17/07/2026 तथा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक F 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20–06–2024 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्ययन शालाओं में विभिन्न विषयों में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न करते हुए निर्धारित प्रारूप में पूरित आवेदन पत्र के साथ अंतिम तिथि दिनांक **17/08/2026 को सायं 5:30** बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) **कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.** को प्रेषित/प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि को समय सायं **5:30** के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक होने चाहिये परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमाः– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक की श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

4 पदों का विवरणः –विज्ञापित व्यवस्था के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या निम्नांकित तालिका के (B) कालम में प्रदर्शित है।

क्र	अध्ययनशाला एवं विषय		प्राध्यापक, सह. प्राध्यापक एवं सहा. प्राध्यापक के कुल रिक्त पद के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के रिक्त पद	रिमार्क
	(A)		(B)	
1	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी		2	
2	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला	एम.एस.सी.इलेक्ट्रॉनिक्स	1	
3	प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व	PG Diploma in Archaeology and Museology (PGDAM)	2	
4	विधि अध्ययनशाला	Computer Science (for BCA L.L.B)	3	
		History	1	
		Political Science	1	
5	भूगोल		1	
6	अध्यापक शिक्षण संस्थान 4 वर्षीय एकीकृत I.T.E.P. पाठ्यक्रम			
	बी.एस.सी. बी.एड	गणित	1	
	बी.कॉम. बी.एड	अकाउंटेंसी	1	
	बी.ए. बी.एड	भूगोल	1	
7	मूल विज्ञान केन्द्र	भौतिकी	1	
		रसायन	2	
		गणित	1	
		वनस्पति विज्ञान	1	
8	सांख्यिकी अध्ययनशाला		1	
9	समाजशास्त्र		1	
10	फार्मेसी		6	
11	कॉमर्स		2	
	कुल		29	

नोटः– 1. I.T.E.P. पाठ्यक्रम हेतु अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के चयन के संबंध में संबंधित विषय में निर्धारित योग्यता के साथ बी.एड. की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी को अन्य समान योग्य अभ्यर्थी की तुलना में वरीयता दी जाएगी।

2. PGDAM(Museology) पाठ्यक्रम के लिए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के चयन हेतु प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में MA+NET/SET/Ph.D. तथा PG in Museology / PG Diploma in Museology की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिये।

3. संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक की सेवा स्वयं समाप्त हो जायेगी।

4. पदों की संख्या अध्ययनशालाओं की आवश्यकता एवं छात्रों की प्रवेश संख्या के आधार पर परिवर्तनीय है। पदों की संख्या में परिवर्तन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन में सुरक्षित होगा।

शर्तेः–

1. आवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी–एच. डी., अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

2. **दिनांक 17/08/2026 को सायं 5.30 तक** कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में ऑफलाईन एवं डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रकिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

3. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार प्राप्तांको की सूची तैयार की जावेगी जिसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

4. उपरोक्तानुसार प्रकाशित सूची पर अभ्यर्थी **दावा– आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे**। दावा आपत्ति के निराकरण उपरान्त निराकृत सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा।

5. प्राप्त आवेदनों की अनंतिम मेरिट सूची, साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तथा साक्षात्कार की समय–सारणी विश्वविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

6. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय **अतिथि व्याख्याता नीति– 2024 (यथा संशोधित 2026)** के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त नहीं की गई है।

7. आवेदन उपरांत संबंधित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

8. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएँ भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा।

9. **मानदेय :–**

   अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित हैः–

   - अतिथि व्याख्याता मानदेय– 2000/–प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50000/–)
   - अतिथि शिक्षण सहायक – 1400/–प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35000/–)

10. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **कुलसचिव, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, आमानाका, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492010** एवं आवेदित **विषय/पद** आवश्यक रूप से लिखें।

11. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक–सेवक के विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।

12. संस्थान में इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी।

13. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधीयों, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

15. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

19. अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की संम्पूर्ण चयन प्रक्रिया एवं समस्त सेवा शर्तें उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के अधीन रहेगी। तथा चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद/व्याख्या की स्थिति में माननीय कुलपति, का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

Patel 6/8/26.

कुलसचिव
पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छ.ग. 492010